प्रभाग – मत्स्य (वर्ष 2018–19)

1.	योजना का नाम	सामुहिक आकस्मिक दुर्घटना बीमा योजना
	योजना का प्रकार	केन्द्र प्रायोजित योजना
	उद्देश्य	आर्थिक सहायता
	पात्रता के बिन्दु	सक्रिय मछुआरा जो किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो अथवा मत्स्य विभाग से जुड़े मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक या मत्स्य मित्र हो जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष।
	लक्षित समूह	मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सभी सदस्य/मत्स्य मित्र/मत्स्य बीज उत्पादक/मत्स्य कृषक
	देय लाभ	बीमित की मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण अपंगता में आश्रित को 2.00 लाख रुपये एवं आंशिक अपंगता में 1.00 लाख रुपये का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा। HOSPITALIZATION BENIFIT 10,000/–रु0 देय है।
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य पदाधिकारी का कार्यालय (प्रत्येक वर्ष जिले में)
2.	योजना का नाम	मत्स्य कृषक प्रशिक्षण (मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना)
	योजना का प्रकार	राज्य योजना
	उद्देश्य	राज्य स्तर पर मत्स्य कृषकों को वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन की जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्रचार–प्रसार।
	पात्रता के बिन्दु	वैसे इच्छुक मत्स्य कृषक जिनके पास निजी/सरकारी जलकर है अथवा मछली पालन करते हों/ व्यवसाय के रुप में मछली पालन अपनाना चाहते हों।
	लक्षित समूह	राज्य के सभी मत्स्य कृषक।
	देय लाभ	1. दो दिवसीय प्रशिक्षण–विगत वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त मत्स्य कृषक। 2. पाँच दिवसीय प्रशिक्षण– नए मत्स्य कृषक के लिए प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दैनिक प्रशिक्षण भत्ता मो0 200/–रु0 मात्र प्रतिदिन एवं मार्ग व्यय मो0 400/–रु0 मात्र (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो) देय है।
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य पदाधिकारी का कार्यालय (सभी जिलों में)
3.	योजना का नाम	मछुआरों के लिए वेद व्यास आवास योजना
	योजना का प्रकार	राज्य योजना
	उद्देश्य	इस योजना अंतर्गत गरीब एवं कच्चे मकान वाले सक्रिय मछुआरा को बेहतर पक्का आवास।
	पात्रता के बिन्दु	राज्य के सभी सक्रिय मछुआरा जिनके पास पक्का आवास नहीं है।
	लक्षित समूह	सक्रिय मछुआरा।
	देय लाभ	इस योजना के तहत् प्रति आवास इकाई लागत मो0–1,20,000/–रु0 अधिकतम् अनुदान है।
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य पदाधिकारी का कार्यालय (सभी जिलों में)
4.	योजना का नाम	मत्स्य बीज वितरण (तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना)
	योजना का प्रकार	राज्य योजना
	उद्देश्य	मत्स्य कृषकों को मछली पालन हेतु उचित मूल्य पर उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराना।
	पात्रता के बिन्दु	कोई भी मत्स्य कृषक प्राप्त कर सकता है।
	लक्षित समूह	सभी मत्स्य कृषक।
	देय लाभ	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के मत्स्य कृषकों को 20 प्रतिशत अनुदान।
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य कार्यालय (सभी जिलों में)

6/1/19

सहायक मत्स्य निदेशक (तक0)
सह–जन सूचना पदाधिकारी
मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रांची।

	योजना का नाम	**जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन (तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना)**
	योजना का प्रकार	राज्य योजना
	उद्देश्य	जलाशयों में अधिक से अधिक मत्स्योत्पादन प्राप्त करना। विस्थापितों तथा आस–पास के मछुआरों को रोजगार एवं आय का साधन उपलब्ध कराना।
	पात्रता के बिन्दु	जो उस जलाशय में मछली मारते हों।
	लक्षित समूह	जलाशयों में मछली पकड़ने एवं बेचने वाले सभी मछुआरे।
	देय लाभ	मत्स्यजीवी सहयोग समिति के माध्यम से विभाग द्वारा मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन।
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य कार्यालय (सभी जिलों में)
6.	योजना का नाम	**रंगीन मछलियों का पालन, प्रजनन एवं विस्तारीकरण कार्य (मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना)**
	योजना का प्रकार	राज्य योजना
	उद्देश्य	नगरीय एवं उप नगरीय क्षेत्रों में एक्वेरियम एवं रंगीन मछली के प्रचलन को बढ़ावा देना एवं सकिय प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवक एवं महिलाओं को नया मंच उपलब्ध कराना।
	पात्रता के बिन्दु	कोई भी इच्छुक व्यक्ति।
	लक्षित समूह	शिक्षित महिलाएँ।
	देय लाभ	प्रशिक्षण एवं अनुदानित दर पर रंगीन मछली एवं आवश्यक सामग्री।
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य कार्यालय (मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, राँची/जमशेदपुर)
7.	योजना का नाम	**मोबाईल रिचार्ज वाउचर की प्रतिपूर्ति (मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना)**
	योजना का प्रकार	राज्य योजना
	उद्देश्य	मत्स्य मित्रों / मत्स्य बीज उत्पादकों को संवाद की सुविधा।
	पात्रता के बिन्दु	मत्स्य मित्र/ मत्स्य बीज उत्पादक
	लक्षित समूह	सभी मत्स्य मित्र/ मत्स्य बीज उत्पादक जो चालू वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त किये हों।
	देय लाभ	500/– रुपया प्रति लाभुक एक साल के लिए।
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य कार्यालय (सभी जिलों में)
8.	योजना का नाम	**तालाबों/जलकरों के मिट्टी पानी जाँच (मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना)**
	योजना का प्रकार	राज्य योजना
	उद्देश्य	तालाबों के उत्पादकता में सुधार हेतु जाँच।
	पात्रता के बिन्दु	प्रगतिशील एवं प्रशिक्षित मत्स्य कृषक।
	लक्षित समूह	मत्स्य कृषक।
	देय लाभ	तालाबों के मिट्टी एवं पानी की निःशुल्क जाँच।
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य कार्यालय (सभी जिलों में)
9.	योजना का नाम	**मत्स्य विपणन योजना**
	योजना का प्रकार	राज्य योजना
	उद्देश्य	हाईजेनिक कंडीशन में मत्स्य बिकी को बढ़ावा देना।
	पात्रता के बिन्दु	मत्स्य विकेता।
	लक्षित समूह	सभी मछली विकेता।
	देय लाभ	मो0 40,000/– रु0 प्रति स्टॉल। लाभुक का अंशदान अधिकतम् 10%
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य कार्यालय (सभी जिलों में)

16/11/19

सहायक मत्स्य निदेशक (तक0)
सह–जन सूचना पदाधिकारी
मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

	योजना का नाम	**निजी क्षेत्र में मत्स्य रियरिंग तालाब का निर्माण योजना**
	योजना का प्रकार	राज्य योजना
	उद्देश्य	निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।
	पात्रता के बिन्दु	जिनके पास योग्य जमीन हो।
	लक्षित समूह	सभी मत्स्य कृषक।
	देय लाभ	प्रति एकड़ पाँच लाख रु0 निर्माण लागत का 80% अनुदान अनुसूचित जाति/ जनजाति को एवं 70% अनुदान अन्य को।
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य कार्यालय (सभी जिलों में)
11.	योजना का नाम	**रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग (तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना)**
	योजना का प्रकार	राज्य योजना
	उद्देश्य	बड़े जलाशयों/नदियों के अप्रयुक्त पानी को विशेष प्रकार के जाल से घेर कर captivity में मछली पालन।
	पात्रता के बिन्दु	स्थानीय लाभुकों जो समूह में अपना श्रमदान कर सकते हों।
	लक्षित समूह	नदियों/जलाशयों के आस–पास के ग्रामीण।
	देय लाभ	जाल, मछली के बीज तथा प्रथम बार मछलियों हेतु आहार, उत्पादित मछली उनके प्रयोग/ आर्थिक लाभ हेतु।
	जिला एवं प्रखंड सम्पर्क कार्यालय/ पदाधिकारी का नाम	जिला मत्स्य कार्यालय (सभी जिलों में)

16/11/19

सहायक मत्स्य निदेशक (तक०)
सह–जन सूचना पदाधिकारी
मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची।